फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

शंकरलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः– 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा....47 /2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06.2020	आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरनसर से शुद्धि प्रकरण प्राप्त होने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार लूनकरनसर से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली रहे। प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम कालू की सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 762 के खसरा नम्बर 2446 तादादी 7.45 हैक्टेयर भूमि में भवरी देवी पत्नि स्वर्गीय जगदीश, मदनलाल,महावीर,लक्ष्मीनारायण,मुन्नी पि0 जगदीश ब.हि.ब. प्रभु, शंकर, भागीरथ, बंशी, माली, शान्ती पि0 ठाकरसीराम ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। **जबकि शुद्ध हिस्सा** भवरी देवी पत्नि स्वर्गीय जगदीश, मदनलाल,महावीर,लक्ष्मीनारायण,मुन्नी पि0 जगदीश 1/14 हिस्सा ब.हि.ब. प्रभु, शंकर, भागीरथ, बंशी, माली, शान्ती पि0 ठाकरसीराम 3/7 हिस्सा ब.हि.ब. हैं। जिसकी दुरूस्ती चाही है तहसीलदार लूनकरनसर ने अपनी रिपोर्ट में वांछित दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात यथा चालु जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076, ईन्तकाल संख्या 3363, जमाबन्दी सम्वत् 2053–2056, जमाबन्दी 2057–2060 मिलान क्षेत्रफल आदि दस्तावेज पेश किये हैं। प्रस्तुत साक्ष्य व तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट से हम संतुष्ट है कि खातेदार जगदीश पुत्र ठाकरसीराम के देहान्त के बाद जगदीश के वारिसानों का जो विरासतन ईन्तकाल दर्ज हुवा उसमें जगदीश के वारिसानों का अलग से हिस्सा नहीं खोलकर सभी हिस्सेदारों को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. में दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि में जगदीश के वारिसानों का 1/14 हिस्सा व अन्य हिस्सेदार प्रभु वगैराह का 3/7 हिस्सा ब.हि.ब. बनता हैं। इसलिये वांछित दुरुस्ती की जानी न्यायोचित समझते हैं। फलस्वरूप राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत रोही मौजा ग्राम कालू तहसील लूनकरनसर की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खाता संख्या 762 के खसरा नम्बर 2446 तादादी 7.45 हैक्टेयर भूमि में भवरी देवी पत्नि स्वर्गीय जगदीश, मदनलाल,महावीर,लक्ष्मीनारायण,मुन्नी पि0 जगदीश ब.हि.ब. प्रभु, शंकर, भागीरथ, बंशी, माली, शान्ती पि0 ठाकरसीराम ब.हि.ब. 1/2 हिस्सा **के स्थान पर** [illegible] देवी पत्नि स्वर्गीय जगदीश, मदनलाल,महावीर,लक्ष्मीनारायण,मुन्नी [illegible] जगदीश 1/14 हिस्सा ब.हि.ब. प्रभु, शंकर, [illegible] शान्ती पि0 ठाकरसीराम 3/7 हिस्सा ब.हि.ब. दुरुस्त करने की आज्ञा प्रदान की जाती हैं । तहसीलदार लूनकरनसर को [illegible] आदेश पृथक से पालनार्थ जारी हो पत्रावली फैसला शुमार हो [illegible] नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफत्तर हो। 30/6/2020 उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 12:37:20 IST
Reason: SelfAttested